न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 1/2021
श्रीमती नत्थूकंवर आयू 50 वर्ष पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी भड़ून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहिब झुंझुनूं।
2. भू प्रबन्ध अधिकारी तहसील झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 700 दिनांक 29.03.1996 भू प्रबन्ध अधिकारी तहसील झुंझुनूं।

––

उपस्थित :–

1. श्री बिरजूसिंह शेखावत, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 22.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 29.03.1996 नामान्तरकरण संख्या 700 वाके ग्राम भड़ून्दा कलां के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र निअ० दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से अपील पत्र निअ० दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार उक्त नामान्तरकरण संख्या 700 के विरूद्ध अपील इस प्रकार से प्रस्तुत है कि प्रार्थीया की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 313/2 रकबा 5 बीघा 4 विश्वा खसरा नंबर 775 रकबा 4 बीघा 18 विश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिश्वा वाके ग्राम भड़ून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनूं में उपस्थित है। उक्त भूमि की प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 313/2 व खसरा नंबर 775 को प्रार्थीया अपीलान्ट ने उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्रीमती सोनकंवर पत्नी स्व. सीपूसिंह जाति राजपूत निवासी भड़ून्दा कलां

जिला कलक्टर

दिनांक 19.03.1996 को क्रय किया था। जिसका विक्रय पत्र भी दिनांक 19.09.1996 को उप पंजीयक झुंझुनूं के यहां तस्दीक हुआ इस प्रकार प्रार्थीया उपर धारा 1 में वर्णित भूमि की सदभाविक क्रेता है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 19.09.1996 के आधार पर पटवार हल्का भडून्दा कलां ने बगैर विक्रय पत्र को देखे ही उक्त नामान्तरकरण में श्रीमती नत्थूकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया तथा रिपोर्ट में यह दर्ज कर दिया कि मुताबिक विक्रय पत्र नत्थूकंवर के नाम नामान्तरकरण भरकर सेवामें पेश है और नीचे तारीख 29.03.1996 दर्ज कर दी तथा उक्त नामान्तरकरण सं0 700 में प्रार्थीया के पति का नाम गलत तौर से महेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के पति का नाम महावीर सिंह है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या 700 पूर्णतया दोषपूर्ण है तथा विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अविलम्बन नही किया गया है। इस प्रकार यह नामान्तरकरण संख्या 700 को दूरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उपर वर्णितानुसार जब प्रार्थीया ने उपर धारा में वर्णित भूमि दिनांक 19.09.1996 को क्रय की थी, किन्तु उक्त आशय का कोई भी पृष्ठाकन उक्त नामान्तरकरण में नही है जो की पूर्णतया गलत है तथा नामान्तरकरण की खाता संख्या 19 में प्रार्थीया अपीलान्ट नत्थूकंवर का नाम दर्ज किया गया है किन्तु प्रार्थीया के पति का नाम महावीर सिंह की बजाय महेन्द्र सिंह गलत दर्ज कर दिया उक्त सन्दर्भ में प्रार्थीया ने तहसीलदार झुझुनू को कई बार प्रार्थना पत्र दिये उस पर कोई कार्यवाही नही की इसलिये वर्तमान अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्तानुसार उक्त नामान्तरकरण संख्या 700 को पूर्णतया दुरूस्त कर खाना सं0 9 में प्रार्थीया के पति का नाम महेन्द्र सिंह की बजाय श्री महावीर सिंह दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने और नामान्तरकरण के खाना सं0 14 में प्रार्थीया के शुद्धि विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2018 जो शुद्धिपत्र के आधार पर बना है को दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। अतः अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 700 दिनांक 29.03.1996 को निरस्त कर अपीलान्ट के पति का नाम महेन्द्र सिंह की जगह महावीर सिंह दर्ज कराया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 313/2 रकबा 5 बीघा 4 विश्वा खसरा नंबर 775 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिश्वा वाके ग्राम भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनूं में उपस्थित है उक्त भूमि की प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्रीमती सोनकंवर पत्नी स्व. सीपूसिंह जाति राजपूत निवासी भडून्दा कलां से दिनांक 19.03.1996 को क्रय किया था जिसका विक्रय पत्र भी दिनांक 19.09.1996 को उप पंजीयक झुंझुनूं के यहां तस्दीक हुआ इस प्रकार अपीलान्ट उपर धारा 1 में वर्णित भूमि की सदभाविक क्रेता है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 19.09.1996 के आधार पर पटवार हल्का भडून्दा कलां ने बगैर विक्रय पत्र को देखे ही उक्त नामान्तरकरण में श्रीमती नत्थूकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तरकरण सं0 700 में प्रार्थीया के पति का नाम गलत तौर से महेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के पति का नाम महावीर सिंह है। नामान्तरकरण संख्या 700 को दूरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 700 दिनांक 29.03.1996 को निरस्त कर अपीलान्ट के पति का नाम महेन्द्र सिंह की जगह महावीर सिंह दर्ज कराया जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट के तर्कों का विरोध कर कथन किया कि विवादित भूमि के क्रम मे अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सही है जो बाद जांच ही भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

इनने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 700 विक्रय पत्र दिनांक 19.03.1996 की पालना में दिनांक 29.03.1996 को तस्दीक हुआ है। अपीलार्थीया का कथन यह है कि उक्त विक्रय पत्र में सहवश से अपीलार्थीया के पति का नाम महेन्द्र सिहं दर्ज हो गया जबकि अपीलार्थीया के पति का सही नाम महावीर सिहं है। जिसका शुद्धि पत्र भी अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 24.04.2018 को उप पंजीयक के यहां तस्दीक करवा लिया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में भूलवश त्रुटि होना प्रतीत होता है, जिससे दुरूस्त किया जाना उचित है। हम अपीलार्थीया के कथनों से सहमत है तथा अपीलार्थीया की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 700 पर पारित आदेश दिनांक 29.03.1996 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत विक्रय पत्र दिनांक 19.03.1996 तथा शुद्धि पत्र दिनांक 24.04.2018 को मध्यनजर रखते पुनः विधिसम्मत् नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं